

**विधान परिषद् के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री नरेश चन्द्र उत्तम, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर।**

---

प्रश्न

23 (क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि हर घर नल योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने लक्ष्य की पूर्ति हुई है ?

(ख) जिन ग्राम सभाओं को जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु पानी की टंकियाँ सुपुर्द की गयी है, उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

(ग) क्या उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जल आपूर्ति व्यवस्था के सोशल आडिट की कोई व्यवस्था है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,62,40,011 घरों में नल जल संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक कुल 1,44,68,078 घरों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किये गये हैं, जो लक्ष्य के सापेक्ष 55.20 प्रतिशत है।

जिन ग्राम सभाओं को जलापूर्ति व्यवस्था हेतु पानी की टंकियाँ हस्तान्तरित की गई हैं, उनके संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/ निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण सम्बन्धित फर्मों/ कार्यदायी संस्थाओं से 10 वर्षों तक कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

जल जीवन मिशन की गाइडलाइन्स में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समुदाय (कम्यूनिटी) द्वारा अपनी जलापूर्ति योजना के कामकाज की निगरानी की जानी है एवं अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव के लिए भी समुदाय ही जिम्मेदार होगा। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों एवं पानी समितियों का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्र देव सिंह

मंत्री

जल शक्ति,

(सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), बाढ़ नियंत्रण, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लघु सिंचाई एवं परती भूमि विकास विभाग)।